

2.11.2022

अपीलाण्ट ही ओर से अधिवक्ता
बै एवं अपीलाण्टस ने उपस्थित होकर
पत्रावली से तलब कर पत्रावली से
जाए रिड्रोल रकमि करने हेतु
प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलाण्ट
एवं उनके अधिवक्ता अपील से
पलाना नहीं चाहते है, जल्द अपील
जाए रिड्रोल रकमि ही जाती है।
पत्रावली जैसल शुमार होकर नम्बर से
रुम है।

१

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मोडाराग

RTI जांच
S. K. Sharma